न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 68/2020/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोटा बून्दी
दायरा दिनांक 07.08.2020
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

रामनारायण आयु 77 वर्ष आ० अमरा मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल तहसील नैनवॉ, जिला बून्दी (राज०)

....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवॉ, जिला बून्दी (राज०)
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम गुढ़ासदावर्तिया जरिये उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी (राज०)

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री बृजमोहन गौतम अभिभाषक –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो

::निर्णय::

दिनांक 24.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 495/प्रा0पत्र/2001 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां बनाम रामनारायण आत्मज अमरा मीणा में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2003 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नैनवॉं के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2001 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु आवंटित भूमि परियोजना क्षेत्र की होने से प्रकरण नियम 17(ए) के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2003 से अपीलांट रामनारायण आत्मज अमरा मीणा निवासी कालामाल, तहसील नैनवां, जिला बून्दी को आवंटित भूमि खसरा सं0 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कालामाल, तह0 नैनवां का आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1999 को निरस्त करने के आदेश पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी का निर्णय दिनांक 04.03.2003 वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित

होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का गहनता से अध्ययन नही कर आवंटन निरस्त करने में कानूनी भूल की है। आवन्टित भूमि खसरा सं. 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कालामाल का आवंटन सम्पूर्ण तथ्यो की जांच करने के उपरान्त ही आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा किया गया था। उक्त आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण न तो आवंटन से पूर्व था और न ही वर्तमान में ही है। उक्त भूमि को परियोजना क्षेत्र की बताया गया है, जिसका आरक्षित मूल्य अपीलान्ट पूर्व मे जमा करने को तत्पर है। आवंटित भूमि के समीपवर्ती आवंटी अपीलान्ट के खाते की भूमि खसरा सं0 448 व 450 किस्म बारानी वाके ग्राम कालामाल की भूमि स्थित हैं। आवंटी ने आवंटन कमेटी के समक्ष किसी भी तथ्य को नही छिपाया गया है तथा उक्त आवंटन छोटी पट्टी का आवंटन है। आवंटी/अपीलांट का कब्जा आवंटन के पूर्व से ही वर्तमान तक भी चला आ रहा हैं, ऐसी स्थिति में आवंटन को निरस्त करने का कोई भी आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के उपरान्त भी आवंटन निरस्त करके विधिक त्रुटि की गई है। अपीलान्ट को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 14.06.1999 को किया गया था तथा आवंटन होने के तीन वर्ष पश्चात ही अपीलान्ट कानूनी रूप से खातेदार बन चुका था। खातेदार बनने के पश्चात आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। अपीलान्ट भूमिहीन व अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आता है। जिसके परिवार की जीवन यापन का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि की आय से ही होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 04.03.2003 को पारित किया है। जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी, निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिया गया है। अपीलान्ट के पूर्व अभिभाषक महोदय द्वारा भी अपीलान्ट को कोई जानकारी नही दी गई है अपीलान्ट स्वयं भी 77 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो अनपढ व कानून से अनभिज्ञ है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 26.3.2018 को हुई है। अपीलान्ट ने दिनांक 26.3.2018 को ही निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है एवं नकल दिनांक 3.4.2018 को प्राप्त हुई है। नकल प्राप्त होने की तिथि से पूर्व की देरी की अवधि न्यायहित में कण्डोन फरमायी जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी का निर्णय दिनांक 04.03.2003 निरस्त फरमाया जाकर भूमि खसरा सं0 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा ग्राम कालामाल तहसील नैनवाँ जिला बूंदी का आवंटन बहाल करने के आदेश प्रदान करने की कृपा फरमायी जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवन्टित भूमि खसरा सं. 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कालामाल का आवंटन सम्पूर्ण तथ्यो की जांच करने के उपरान्त ही आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा किया गया था। उक्त भूमि को परियोजना क्षेत्र की बताया गया है, जिसका आरक्षित मूल्य अपीलान्ट पूर्व मे जमा करने को तत्पर है। आवंटित भूमि के समीपवर्ती आवंटी अपीलान्ट के खाते की भूमि खसरा सं0 448 व 450 किस्म बारानी वाके ग्राम कालामाल की भूमि स्थित हैं तथा उक्त आवंटन छोटी पट्टी का आवंटन है। आवंटी/अपीलांट का कब्जा आवंटन के पूर्व से ही वर्तमान तक भी चला आ रहा हैं, ऐसी स्थिति में

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आवंटन को निरस्त करने का कोई भी आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के उपरान्त भी आवंटन निरस्त करके विधिक त्रुटि की गई है। अपीलान्ट 77 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो अनपढ व कानून से अनभिज्ञ है, अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 26.3.2018 को हुई है। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की अवधि को न्यायहित में कण्डोन फरमायी जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी का निर्णय दिनांक 04.03.2003 निरस्त फरमाया जाकर भूमि खसरा सं0 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा ग्राम कालामाल तहसील नैनवाँ जिला बूंदी का आवंटन बहाल रखे जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1993 Page No. 596, RRD 1995 Page No. 159, RRD 2006 (Jan) पेश किये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नैनवाँ के द्वारा प्रार्थना–पत्र इस बाबत् पेश किया गया था कि आवंटी/अपीलांट भूमिहीन कृषक नहीं है, आवंटित भूमि अतिक्रमणशुदा भूमि है। आवंटित भूमि परियोजना क्षेत्र की है लेकिन आरक्षित मूल्य जमा नहीं करवाया गया है। जिससे आवंटन नियम संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2003 से अपीलांट/आवंटी का आवंटन दिनांक 14.06.1999 निरस्त करते हुए वर्णित किया गया कि भूमि समीपतर्वी (छोटी पट्टी) की होने के संबंध में कोई अभिलेख आवंटन पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। आवंटित भूमि परियोजना क्षेत्र की भूमि है, लेकिन इसकी कीमत का आंकलन नहीं किया गया है और न हीं राशि वसूल की गयी है। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि आवन्टित भूमि खसरा सं. 452 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कालामाल का आवंटन सम्पूर्ण तथ्यो की जांच करने के उपरान्त ही आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा किया गया था। उक्त भूमि को परियोजना क्षेत्र की बताया गया है, जिसका आरक्षित मूल्य अपीलान्ट पूर्व मे जमा करने को तत्पर है। आवंटित भूमि के समीपवर्ती आवंटी अपीलान्ट के खाते की भूमि खसरा सं0 448 व 450 किस्म बारानी वाके ग्राम कालामाल की भूमि स्थित हैं तथा उक्त आवंटन छोटी पट्टी का आवंटन है। आवंटी/अपीलांट का कब्जा आवंटन के पूर्व से ही वर्तमान तक भी चला आ रहा हैं।

8. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.03.2003 में दिये गये निष्कर्ष अनुसार भूमि समीपवर्ती (छोटी पट्टी) की होने का कोई अभिलेख आवंटन पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से तथा भूमि कीमतन आवंटित होने पर वसूली की जाने वाली आरक्षित राशि का आंकलन भी भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नहीं

क्षेत्रीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

किया जाना वर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को आवंटित की गई भूमि परियोजना क्षेत्र की होने से उसका आरक्षित मूल्य अपीलांट/आवंटी को जमा कराये जाने बाबत् उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा सूचित नहीं किये जाने से आवंटी/अपीलांट के स्तर पर उक्त आरक्षित राशि जमा नहीं करवाये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक भूमि समीपवर्ती (छोटी पट्टी) की होने का प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण परीक्षण हेतु उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रकट होता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 495/प्रा0पत्र/2001 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां बनाम रामनारायण आत्मज अमरा मीणा में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2003 अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण/जांच कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9. निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा